न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2016

1 श्रीमती हाजरा बानो पुत्री असरफखां स्त्री यासीन जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न. 22 गुढ़ा रेल्वे फाटक के पास झुंझुनू जिला झुंझुनू।
2 श्रीमती जैतुन पुत्री असरफ खां स्त्री मालुखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी झुंझुनू हाल निवासी फिरास का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मोहम्मद रफीक उर्फ बाबु पुत्र समदखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी रोड़ नं. 3 आदर्श नगर झुंझुनू जिला झुंझुनू।
2 मृतक आसीया स्त्री उमेद खां उर्फ उमदखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 गुढ़ा रेल्वे फाटक के पास झुंझुनू।
3 हाकम पुत्र उमेद खां उर्फ उमदखां।
4 खादीम पुत्र उमेद खां उर्फ उमदखां।
5 जमीला पुत्री उम्मेद खां।
6 शकील अहमद पुत्र मोहम्मद रफीक समस्त जाति कायमखानी निवासीगण वार्ड नं. 22 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
7 मजीदन स्त्री कासम खां।
8 इकबाल पुत्र कासम खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण वार्ड नं. 23 गोयल कॉलोनी झुंझुनू।
9 पंकज शर्मा पुत्र गुलझारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रोड़ नं. 2 झुंझुनू।
10 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बोम्बे कॉम्पलेक्स झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
11 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 उप पंजीयक झुंझुनू।
13 नगर परिषद झुंझुनू जरिये आयुक्त।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.09.2015
बअदालत उखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा
उनवानी श्रीमती हाजरा बनाम मोहम्मद रफीक
मुकदमा नम्बर 83/2014 दावा बाबत घोषणा,
विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा में प्रस्तुत पुर्नविलोकन
प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के विरूद्व अपील

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाष, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 83/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 3654 रकबा 4.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3667 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3668 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3645 रकबा 2.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3646 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3674 रकबा 0.84

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3677 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3666 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3670 रकबा 0.60 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 11.89 हैक्टेयर सरहद राजस्व कस्बा झुंझुनू में स्थित है। उक्त जमीन में से अपीलांट प्रत्येक 1/5 हक हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने एवं उक्तानुसार विधिवत विभाजन बाबत दावा पेश किया। वादीगण के उक्त दावा को अदालत मातहत ने दिनांक 06.09.2015 को डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व रेस्पोडेंट नम्बर 1,6 व 7 क्रमशः मो. रफीक, मु. मजीदन एवं इकबाल ने माननीय अदालत हाजा राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू के समक्ष दिनांक 18.09.2015 को अपील पेश की । दिनांक 18.09.2015 को अपील पेश होने पर कैविटकर्ता को नोटिस जारी कर दिनांक 24.09.2015 को आगामी पेशी नियत की गई दिनांक 24.09.2015 व दिनांक 30.09.2015 को न्यायालयों में अभिभाषकगण द्वारा कार्य बहिस्कार करने के कारण आगामी पेशी दिनांक 07.10.2015 नियत की गई तथा इन्तजार नोटिस में दिनांक 08.10.2015 को तारिख पेशी नियत की गई। दिनांक 08.10.2015 को अदालत हाजा ने उभयपक्षकारान को सुनकर अदालत मातहत की पत्रावली तलब करना एवं शेष पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुनना न्यायोचित समझाकर आगामी पेशी दिनांक 29.10.2015 नियत की गई तथा बाद में उक्त अपील नम्बर 135/2015 में आगामी पेशी दिनांक 10.11.2015 व 26.11.2015 नियत की गई। अदालत मातहत के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर बहस दिनांक 06.09.2015 के विरूद्व रेस्पोडेंट नम्बर 1 मो. रफीक ने अन्य के साथ मिलकर अपील पेश करने के बाद अपने पुत्र शकील अहमद पुत्र मोहम्मद रफीक के द्वारा बिना अधिकार के अदालत मातहत को मुगालता में रखकर दिनांक 30.09.2015 को पुनः विर्लोकन प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 30.09.2015 को ही बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये मनमर्जी से कानुन कायदे व नियमों से हटकर दिनांक 30.09.2015 को स्वीकार कर दावा संख्या 83/2014 में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2015 को अपास्त कर दिया जिस आदेश के विरूद्व अपीलांट माननीय राजस्व मण्डल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

राजस्थान अजमेर में निगरानी/टी.ए./7449/2015/झुंझुनू पेश की जिस निगरानी को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने इस निर्देश के साथ खारिज कर दी की अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 4 की परिधि में होने के कारण सीपीसी के आदेश 43 नियम 14 से गवरन होने के कारण आलौच्य आदेश दिनांक 30.09.2015 अपील योग्य है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में बंटवारे का दावा डिक्री हुआ है मूल दावे के पृष्ठ संख्या 4,5,6 पर अंकन के अनुसार भूमियां मिली है। विचारण न्यायालय में दिनांक 06.09.2015 को दावा डिक्री हुआ है। इस डिक्री के विरूद्व दिनांक 18.09.2015 को अपील पेश हो गई। अपील प्रस्तुत होने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 के पुत्र ने विचारण न्यायालय को मुगालते में रखकर रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई अपील विचाराधीन रहते दिनांक 30.09. 2015 को प्रस्तुत रिव्यू उसी दिन स्वीकार कर लिया एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2015 को अपास्त कर दिया। रिव्यू का क्षेत्र सीमित है रिव्यू में लिपिकिय भूल, प्रथम दृष्टया दर्शित होने वाली त्रूटि को संशोधित किया जा सकता है। सम्पूर्ण निर्णय अपास्त नही किया जा सकता है। शकील अहमद दावे में पक्षकार नही था। अत उसके द्वारा रिव्यू आवेदन पेश नही किया जा सकता है। मुसलिम विधि में सम्पति पैतृक नही होती है विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्व रूप से निर्णय व डिक्री अपास्त की है। कार्य स्थगन के दौरान अपीलांधीन निर्णय पारित किया गया है अपील स्वीकार कर रिव्यू आदेश अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर. डी. 2014 पेज 757, आर.आर.डी. 2001 पेज 341, आर.आर.डी. 2001 पेज 90, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 122, आर.आर.डी. 2012 पेज 188, ए.आई.आर. 2011 (उड़ीसा), ए.आई.आर. 2017 पेज 1432 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दिनांक 30.06.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया है। दिनांक 13.06.2015 को विचारण न्यायालय में दिनांक 15.10.2015 तारिख पेशी नियत की गई थी। इसी मध्य दिनांक 06.09.2015 को रविवार के दिन पत्रावली तलब कर नियत तिथि से पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश होते हुये भी राजीनामा पेश करवाया। प्रति द्वंद्वी प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में दावा डिक्री किया गया। इस आदेश को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30. 09.2015 को रिव्यू किया गया। इस रिव्यू आदेश के विरूद्व अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की, जो खारिज हुई है। इस पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में रिव्यू से कोई नुकसान नही है। जो पक्षकार प्रभावित होता है वह रिव्यू आवेदन लगा सकता है उसका पक्षकार होना आवश्यक नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने आर.आर.डी. 2018 पेज 251, आर.आर.डी. 1992 पेज 334, आर.आर.टी. 2001 पेज 1205, आर.आर.डी. 1978 पेज 240, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1458, आर.बी.जे. 2012(19) पेज 540 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2015 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्व विचारण न्यायालय को पुनरावलोकन का अधिकार था अथवा नही, यह पुनरावलोकन आवेदन उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2015 में पक्षकार नही था। ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर विचारण न्यायालय को पुनरावलोकन करना चाहिए था अथवा नही।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2015 में पुनरावलोकन आवेदनकर्ता पक्षकार नही था किन्तु इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2018 पेज 251 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि" (a)Rajasthan Tenancy Act, Section 229 - Civil Procedure Code, O. 47, R. 1- Review- Reference - Review petition whether can be file by stranger - Held, yes इसी प्रकार आर.आर.डी. 1992 पेज 334 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि" (C) Rajasthan Tenancy Act, Section 229 (2) - The subordinate Revenue courts have a right to review their judgments even suo motu (para 9) इन न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में विचारण न्यायालय ने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

इस विवाद बिन्दु के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु अपीलांट द्वारा अपने अपील मेमों एवं बहस में नही उठाया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन पुनरावलोकन आदेश में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तेक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर